न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

29/4/23
हस्ता०

द0प्र0सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम0पी0 वाद संख्या– 122/2023

(1)

प्रथम पक्ष :– 1. विनिता सिंह पति स्व0 विश्वजीत सिंह सा0 प्लौट नं0 एस–1 सिटी सेन्टर, थाना सेक्टर 4, जिला बोकारो।

–: बनाम् :–

द्वितीय पक्ष :– 1. विवेक सिंह पिता रंजीत सिंह 02. रंजीत सिंह पिता स्व0 राजब्लव सिंह दोनों सा0 प्लॉट नं0 एस–1 सिटी सेन्टर सेक्टर 4, थाना सेक्टर 4, जिला बोकारो।

कार्यवाही

सेक्टर 4 थाना अप्राथमिकी संख्या 03/23 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सेक्टर 4 थाना से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्ष के बीच संपति का बटवारा को लेकर विवाद है जिससे कभी भी विधि–व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकरी ने प्रथम पक्ष के विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनों पक्ष के विरूद्ध धारा 107 द0प्र0स0 की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही दोनों पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 15.3.23 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये का बन्ध–पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

16/2/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख ग्रहित
15.3.23	- प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है। तथा S/C हेतु समय का आवेदन है। - द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक - 29.4.23 को रखें। Sdm Chair Matter under cognizance and told both parties to move to family court to resolve dispute. Dropped. 14/7/23	11-7-23

Digitally signed by localhost
Date: 2025.05.09 12.57.28 +05:30
Location: 192.168.1.33